# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2017 राजस्व वाद

उनवान

1. गोपाल पिता उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भगवान पिता उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सांवरमल पिता उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नानूड़ी पुत्री उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नाराणी बेवा उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. बालू पिता छीतर गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. उदा पिता देवा गुर्जर निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रेगता पिता सवाईराम गुर्जर निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. शंभु पिता सवाईराम गुर्जर निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. तहसीलदार, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. किशन लाल कुमावत वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—26/06/2025

वादीगण की ओर से दिनांक 24.03.2017 को अधिवक्ता श्री किशनलाल कुमावत द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे कम संख्या 12/2017 पर रजिस्टर पंजीबद्ध किया गया एवं विधिक प्रकिया प्रारम्भ की गई।

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अधिकार आधिपत्य की सामलाती हक अधिकार की ग्राम ओझागर पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित है तथा अपने हक हिस्से अनुसार ही वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अच्छी व रोड़के सहारे वाली भूमि अपने हिस्से में रख ली व बंजड़ व पीछे की भूमि वादीगण के हिस्से में रख दी जिससे वादीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के बीच उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है तथा अपने-अपने हिस्से के बारे में भी विवाद होता रहता है जिससे विवाद की स्थिति बनी रहती है। जबकि उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण हक हिस्सा निहित होकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/4 हिस्सा व वादीगण का 1/2 हिस्से का बंटवारा होकर रेकॉर्ड में दर्ज होना है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को कई मर्तबा उक्त भूमि का बंटवारा बाबत् मौखिक निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 ने वादीगण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे वादीगण अपनी भूमि के पूर्णतः उपयोग उपभोग से वंचित हो रहे है इसलिये वादीगण उक्त आराजियात का बंटवारा कराने के कानूनन अधिकारी है तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा अपने नाम पृथक से दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को अन्तिम बार बंटवारा कराने का निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 इन्कार हो गये जिससे वादीगण को बिनाय वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

26/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार भीलवाड़ा लैण्ड होल्डर होने से फोरमल पक्षकार होने से पक्षकार कायम किया गया है।

विवादित आराजी ग्राम औझागर में स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वादपत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार का है।

अतः निवेदन है कि वादपत्र में वर्णित ग्राम ओझागर पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजी संख्या 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मिटस व बाउण्डरा के आधार पर बंटवारा किये जाने की डिक्री सादिर फरमायी जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

वादीगण का वादपत्र दिनांक 17.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादीगण के सम्मन तलवाने पूर्व में ही तामील होकर प्राप्त होने से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के बाद तामील उपस्थित नहीं आने से तथा प्रतिवादी संख्या 4 के फोरमल पक्षकार होने से दिनांक 15.10.2019 को एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन प्रस्ताव हेतु जारी की गई।

तहसीलदार भीलवाड़ा से दिनांक 09.01.2025 को प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार नवीन राजस्व ग्राम लापलिया खेड़ा के आराजी नम्बर 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। दिनांक 09.01.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रतिवादीगण को वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर आपति/आक्षेप हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादी ग्राम ओझागर पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजी संख्या 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि का सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से पक्षकारो को फसल काश्त करने विकास करने उपजाउ बनाने व लगान आदि जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है तथा कृषि भूमि को काश्त करते समय मौके पर वाद विवाद व लडाई झगडा होता रहता है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 एवं वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि को पृथक-पृथक किये जाने की प्रार्थना तथा तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जावे।

ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 03 के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि आराजियात का बंटवारा कराने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त आराजी से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार विभाजित करने की अंतिम डिक्री पारित की जावे।

वादीगण के वादपत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं संलग्न जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा दौराने वाद ग्राम लापलिया खेड़ा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1120 में अपना सम्पूर्ण 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 उदा पिता देवा जाति गुर्जर सा0 देह मजरा केशरपुरा के पक्ष में विक्रय कर दिया है जिसके कारण वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1120 रकबा 2.0991 हैक्टयर भूमि नवीन खाते में दर्ज रिकॉर्ड हो गई है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

| क0 सं0 | खातेदार का नाम | खसरा | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| 1 (खाता संख्या 18 शामलाती बदस्तूर) | 1. उदा पुत्र देवा हिस्सा--1/4 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार<br>2. गोपाल पुत्र उदा हिस्सा--11/180 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा 11/180 पूर्ण खाता बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>3. नानूड़ी पुत्री उदा हिस्सा-- 1/30 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>4. नाराणी पत्नी उदा हिस्सा -- 1/30 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा--1/30 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>5. बालु पुत्र छीतर हिस्सा -- 1/4 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा--1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>6. भगवान पुत्र उदा हिस्सा-- 11/180 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार भगवान पुत्र उदा हिस्सा--11/180 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार<br>7. रेमता पुत्र सवाईराम हिस्सा-- 1/8 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा--1/8 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>8. शंभु पुत्र सवाईराम हिस्सा -- 1/8 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार<br>9. सांवरमल पुत्र उदा हिस्सा-- 11/180 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-- 11/180 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां | 1114<br>1119<br>कुल किता 02 | 0.0632<br>0.1770<br>0.2402 | गेंमु0 आचा<br>बारानी II |
| 2. | 1. उदयराम उर्फ उदा पुत्र देवा हिस्सा--3/4 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार<br>2. रेमता पुत्र सवाईराम हिस्सा-- 1/4 जाति गुजर सा0 देह0 म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा--1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां | 1120/1<br>कुल कि0 01 | 1.0496<br>1.0496 | बंजड़ |
| 3. | 1. गोपाल पुत्र उदा हिस्सा--11/90 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-- 11/90 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>2. नानूड़ी पुत्री उदा हिस्सा-- 1/15 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार<br>3. नाराणी पत्नी उदा हिस्सा-- 1/15 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-- 1/15 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>4. बालु पुत्र छीतर हिस्सा-- 1/2जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-- 1/2 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां<br>5. भगवान पुत्र उदा हिस्सा-- 11/90 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा भगवान पुत्र उदा हिस्सा-- 11/90 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार<br>6. सांवरमल पुत्र उदा हिस्सा-- 11/90 जाति गुजर सा0 देह म0 केशरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-- 11/90 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां | 1120/2<br>कुल कि0 01 | 1.0495<br>1.0495 | बंजड़ 1.0369 गेमु0 खड़ा 0.0126 |

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेरा अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। अतएव

26/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

-:आदेशः-

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि में तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

2/1/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. गोपाल पिता उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भगवान पिता उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सांवरमल पिता उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नानूड़ी पुत्री उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नाराणी बेवा उदा गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. बालू पिता छीतर गुर्जर निवासी लापलियाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. उदा पिता देवा गुर्जर निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रेमता पिता सवाईराम गुर्जर निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. शंभु पिता सवाईराम गुर्जर निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 12/2017 राजस्व वाद — निर्णय दिनांक—26/06/2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता किशन लाल कुमावत उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 उपस्थित नहीं में-- इस वाद में आज तारिख 26/06/2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न अन्तिम डिकी दी जाती है–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के इस आशय की जारी की जारी की जाती है कि ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 1114, 1119, 1120 कुल किता 03 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिकी का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 26/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

26/6/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा